

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नंबर-12289/2013/3053 दिनांक :- 24-06-2019

कार्यालय आदेश

श्री विकास चौकडायत कनि० लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय महाप्रबन्धक(प्रशासन) राजस्थान स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 15.01.2019 से 01.02.2019 तक कुल (18 दिवस)

उक्त कुल 18 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विकास चौकडायत की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नंबर-12289/2013/3053 दिनांक :- 24-06-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. ~~कार्यालय~~ महाप्रबन्धक(प्रशासन) राजस्थान स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विकास चौकडायत कनि० लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय महाप्रबन्धक(प्रशासन) राजस्थान स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाय कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)